संख्याः 1106/सत्रह–म/2014, ।।।–6–अ(1)/2008

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ दिनांकः 30 जून, 2014

विषय : उ0 प्र0 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है। अधिकतर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीण लोग कृषि के साथ–साथ मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न है, परन्तु मत्स्य पालन हेतु प्रदेश में कृषि का दर्जा न होने के कारण मत्स्य पालको में असुरक्षा की भावना बनी हुई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओ से अभी तक वंचित थे।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मत्स्य पालक को कृषि का दर्जा प्रदान किया जाय तथा कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को भी मत्स्य पालकों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाय।

कृषि क्षेत्र में कृषकों को कृषि दर पर विद्युत आपूर्ति, कृषि हेतु सिचाई की दर पर जलापूर्ति, अनुदानित ब्याज दरों पर ऋण तथा अभिलेखों के पंजीयन में स्टाम्प शुल्क की अनिवार्यता समाप्ति तथा दैवीय आपदा में कृषि उत्पादकों को बीमा सुरक्षा तथा विपणन आदि में कतिपय सुविधाये उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को कृषि क्षेत्र के समान रूप से मत्स्य पालको को भी कृषि का दर्जा उपलब्ध कराये जाना है। इस संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से शासनादेश जारी किये जायेंगें, जिसकी तिथि से ये सुविधायें मत्स्य पालको को उपलब्ध हो सकेंगी।

प्रकरण में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव,

संख्याः 1106 (1)/सत्रह–म/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर निदेशक/उपनिदेशक, मत्स्य विभाग उ0 प्र0
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव